न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 | प्रथम पक्ष – दिनेश नाग ......वगैरह ।

बनाम

वाद सं0 75/2022 | द्वितीय पक्ष – सोमा मुण्डा ..... वगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
30/1/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 17/2022 दिनांक 26/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) दिनेश नाग उम्र 27 वर्ष पिता महाबीर साहु (2) महाबीर साहु उम्र 59 वर्ष पिता स्व0 डेडे साहु ग्राम सरिता थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) सोमा मुण्डा उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 हैबर मुण्डा (2) निकोदिन सुरीन उम्र 45 वर्ष पिता सुरीन उम्र 45 वर्ष पिता जोसेफ सुरीन उम्र 26 वर्ष पिता स्व0 मंगरा सुरीन (4) प्रसाद सुरीन उम्र 45 वर्ष पिता जोसेफ सुरीन (5) अलबिस सुरीन उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 होदो सुरीन (6) सामुएल सुरीन उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 ठाकुर सुरीन सभी ग्राम सरिता थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा सरिता के खाता सं0 199, प्लॉट स0 1106, रकबा 0.06 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। [Seal: अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)] Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2023.02.04 13:15:07 +05:30 Location: 192.168.156.240	